यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-I राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-I राज्य कर, देहरादून** के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.10.2018 से 15.11.2018 तक श्री एन.के. सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.10.2017 से 17.10.2017 तक श्री एन.के. सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (₹ लाख में) |
|---|---|
| 2015-16 | 2204.26 |
| 2016-17 | 2126.71 |
| 2017-18 | 920.92 (2017-18 के I Quarter तक) |

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | आवंटित बजट राशि (₹) | | व्यय राशि (₹) | | अवशेष/समर्पण (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत | आयोजनेत्तर | आयोजनागत |
| 2015-16 | | | | | | |
| 2016-17 | | | N.A | | | |
| 2017-18 | | | | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| लागू नहीं | | | | | |

**(iii) इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

**(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

**सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी**

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-I राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :**

**राजस्व: - ..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

**व्यय: - ..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

**(vii)** योजना का चयन :- शून्य

**(Viii)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग 2 (अ)

### प्रस्तर 01 :- TDS की कटौती राजकीय कोष में विलंब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹1.87 करोड़

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 35(8) सपठित उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमवाली 2005 के नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार TDS कटौती की धनराशि कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की 25 तारीख तक राजकीय कोष में जमा की जाएगी जिसकी विफलता पर TDS की धनराशि के 2 गुणा के बराबर अर्थदण्ड आरोपणीय होगा|

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि. ) – । राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच मैं पाया गया कि व्योव्हारी (संविदी विभाग) सर्वश्री अलकनंदा हाईड्रोपांवर देहरादून, कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में व्योव्हारी द्वारा संगत वर्ष में विभिन्न संविदाकारों को किये गये भुगतान पर ₹93,63,815/- की TDS की कटौती कर उसे राजकीय कोष में विलम्ब से जमा किया गया (सूची सलग्न) जिसपर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 1,87,27,630/- का अर्थदण्ड संविदी विभाग पर आरोपणीय था जो नहीं किया गया|

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अर्थदण्ड की कार्यवाही निक्षेप योग्य है।

उत्तर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत मान्य नहीं था| अत: प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

# TDS की कटौती, उसके राजकीय कोष में जमा किये जाने का विवरण एवं आरोपणीय अर्थदण्ड

| क्र०सं० | TDS कटौती का माह | TDS की धनराशि (₹) | TDS शासकीय कोष में जमा किये जाने की तिथि | आरोपणीय अर्थदण्ड (₹) |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | 05/2014 | 1,34,672 | 08.08.2014 | 2,69,344 |
| **2.** | 06/2014 | 4,91,550 | 08.08.2014 | 983100 |
| **3.** | 07/2014 | 42,446 | 07.11.2014 | 84892 |
| **4.** | 08/2014 | 2,54,088 | 07.11.2014 | 508176 |
| **5.** | 09/2014 | 1,25,684 | 07.11.2014 | 251368 |
| **6.** | 10/2014 | 67,058 | 19.01.2015 | 134116 |
| **7.** | 11/2014 | 2,85,948 | 19.01.2015 | 571896 |
| **8.** | 12/2014 | 3,09,718 | 30.03.2015 | 619436 |
| **9.** | 01/2015 | 13,728 | 30.03.2015 | 27456 |
| **10.** | 02/2015 | 62,67,210 | 30.03.2015 | 12534420 |
| **11.** | 03/2015 | 13,71,713 | 26.09.2015 | 2743426 |
| **Total** | | | | **18727630** |

## भाग 2(ब)

**प्रस्तर सं0 01- कर का न्यूनारोपण ₹ 3.82 लाख।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क. नि. ) – । राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में निम्नांकित कमियां पाई गई:-

1. व्योव्हारी सर्वश्री यस रेस्टोरेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्योव्हारी द्वारा संगत वर्ष में ₹42,15,295/- के cooked food की बिक्री की गई जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उसपर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% की अन्तरीय दर से ₹ 358300/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|
2. व्योव्हारी सर्वश्री आर्म्स एक्सपोर्ट्स देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के वाद में व्योव्हारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 2,80,214/- के एयरगन की बिक्री की गई जिसपर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5% की दर से कर आरोपित किया गया था जबकि उपरोक्त वस्तु अवर्गीकृत होने के कारण उसपर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था| इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में 8.5% की अन्तरीय दर से ₹ 23,818/- के कर का न्यूनारोपण हुआ|

उपरोक्त दोनों बिन्दुओ के संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार जाँच कर लेखापरीक्षा को सूचित कराने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग – 2(ब)**

**प्रस्तर – 02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.17 लाख|**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xi) के प्रावधानों के अनुसार आई.टी.सी. का गलत/झूठा दावा किये जाने पर न्यून्तम ₹5000/- या दावाकृत आई.टी.सी. का तीन गुणा जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.)-I वा.क देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री शिवा ओफ़्सेट प्रेस चकराता रोड देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में प्रांतीय खरीद पर ₹75,386/- की ITC का दावा किया गया था| जांचोपरांत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रांतीय खरीद पर ₹72,259/- का ITC नियमानुसार देय नहीं होने के कारण अस्वीकार्य किया गया था परन्तु इस प्रकार व्यौहारी द्वारा गलत आई.टी.सी. क्लेम किये जाने पर उसके विरूद्ध ITC का दावा करने पर अर्थदण्ड के रूप में दवाकृत ITC ₹ 72,259/- का तीन गुणा ₹ 2,16,777/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि नियामानुसार जांच कर कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

**राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या | सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 233/1988-1989 | 01 | - | |
| 293/1990-1991 | 01(अ),02,03,04,05,01(ब) | - | |
| 34/1996-97 | 01,02 | - | |
| 132/2000-01 | 01 | - | |
| 65/2004-05 | 01 | 01,02,03,04 | |
| 89/2001-02 | 01 | - | |
| 30/2006-07 | 01,02 | - | |
| 02/2010-11 | 01 | 02,03,04 | |
| 01/2011-12 | - | 01 | |
| 30/2012-13 | - | 02, STAN-01,02 | |
| 44/2013-14 | - | 01 STAN-01,02,03 | |
| 28/2015-16 | - | 01,03,04 STAN-02 | |
| 21/2016-17 | - | 04,05 TAN-01,02,03,04 | |
| 92/2017-18 | - | 01,02,03,04,05,06 | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या भाग-2 अ | प्रस्तर संख्या भाग-2 ब | अनुपालन आख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।**

**<u>भाग-IV</u>**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

**(1)** राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**(2)** व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**भाग-V**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-I राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री अंजली गुसाई | सहायक आयुक्त |
| 2 | श्रीमची गार्गी बहुगुणा | CTO |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.)-I राज्य कर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र**